

आयालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर जिला अलवर

नं. 2/104/22

तारीख रजू.....

वकीली

बनाम

प्रकाशन्द वगैरा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

04.05.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आंगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1055, 1064, 1228, 1229, वाके ग्राम खेरली रेल तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिये कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 20.05.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 20.05.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

20/05/22

वकील प्रार्थी

उपास्था

की पालक में पत्रा की वास्ते

29/7/22



तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
की तारीख

30/4/24

वकील जगदीश उपाध्येत नही आये वकील
जगदीश को वा. 2 आकाश रिकार्ड जडि,
कोई उचल नही आया अतः जगदीश को जो
जो पदस्थ वकील जगदीश के अफर पें. 1
अफर हाजरी में इकी खेज पदस्थित अफर
जाता है पत्राचार की माल 25 मार्च से गं. 1098
को अफर की सुचना

S.M.L.

30/4/24

जयशंकर अशिकादी
जयशंकर (अलवर)

3.11.2023
जयशंकर अशिकादी
जयशंकर (अलवर)